न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/218/2017	29–12–2017	17–01–2018

01– भजनी पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर,उम्र लगभग 70 साल ,निवासी नंगला चिरावडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह,अलवर राजस्थान।

अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 05.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 360/17

उपस्थितः–

01–श्री ओमप्रकाश चौहान –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 05.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नंगला चिरावडा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.40 है0 में से 0.20है0 व खसरा नंबर 917 रकबा 0.19है0 में से 0.19है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नंगला चिरावडा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 996 रकबा 0.40 है0 में से 0.20है0 व खसरा नंबर 917 रकबा 0.19है0 में से 0.19है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया।वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट वर्तमान में जिला कारागृह,अलवर(राज0) में बंदी है। वकील अपीलान्ट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि वर्तमान में बन्दी द्वारा उक्त आराजी पर गेहूँ की फसल बोई हुई है। यदि उक्त फसल को सरकार नीलाम करवाकर राशि जमा राजकोष करवाती है तो हम कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 05.10.2017 के विरूद्ध दिनांकच 28.12.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित होता है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार,रामगढ़ दिनांक 09.01.2018 द्वारा मौके पर गेंहू की काश्त होना बताया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है। चूंकि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित आराजी पर बोई गई गेहूं की फसल को कब्जेराज लेने की सहमति जाहिर की है। अतः तहसीलदार,रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अतिक्रमी से राजकीय भूमि को कब्जेराज लिया जाकर मौके पर खडी गेंहूँ की फसल का नियमानुसार निस्तारण कर पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)